फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

धन्नू	बनाम	श्रीराम

जीसीएमएस संख्या		किस्म मुकदमा	

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10.04.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी	
10/04/26	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 07 ता 11 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-10 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07 ता 11 द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरों के संबंध में एक पूर्ववर्ती वाद संख्या 2005/550 उनवान मांगा बनाम छगना हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पूर्ववर्ती दावा संख्या 2025/550 में हस्तगत वाद में वर्णित आराजी एवं शीर्षक समान होने के कारण धारा-10 के प्रावधानों के तहत हस्तगत वाद की कार्यवाही पूर्ववर्ती वाद के निस्तारण तक स्थगित की जावे। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद की जानकारी वादी को नहीं थी। साथ ही पूर्ववर्ती वाद एवं हस्तगत वाद में भिन्न-भिन्न इस्तदुआ एवं विवाद्यक बिन्दु कायम होने से प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.07.2025 को पूर्ववर्ती वाद संख्या 2025/550 वास्ते घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात समान आराजी वादी द्वारा हस्तगत वाद दिनांक 04.08.2025 को वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा पूर्ववर्ती वाद के निस्तारण तक हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। जिसमें वादी का खण्डन है कि उक्त दोनों वाद की इश्तदुआ भिन्न-भिन्न है। प्रकरण में अवलोकन पत्रावली से ज्ञात होता है कि पूर्ववर्ती वाद में घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। इसी प्रकार पश्चातवर्ती वाद में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष समान आराजी एवं समान पक्षकारान द्वारा चाहा गया है। उक्त पश्चातवर्ती वाद में चाही गई इश्तदुआ पूर्ववर्ती वाद में समाहित होना पत्रावली अवलोकन से ज्ञात होता है। साथ ही धारा-10 सीपीसी के प्रावधानों के तहत समान पक्षकारान के मध्य समान आराजी, समान शीर्षक एवं समान इश्तदुआ को लेकर लम्बित वाद में पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित करने के प्रावधान है। इस प्रकार उक्त दोनों वाद में पश्चातवर्ती वाद की इश्तदुआ पूर्ववर्ती वाद में समाहित होने से पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित करना न्यायालय उचित समझता है। साथ ही उक्त दोनों वाद को समेकित किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हस्तगत पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित करते हुए उक्त दोनो वाद को समेकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती वाद संख्या 2025/550 अनवान मांगा बनाम छगना के नत्थी हो। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी	प्रतिवादी सं. 2,3,9,12 व 13 की रिकॉर्ड अनुसार [illegible] जगदीश बिश्नोई Ad. J. Kaswas